न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 246 / 2022

अनवान : –

1. चाननमल पुत्र हरीराम जाति रेगर निवासी वार्ड संख्या 10 नोहर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादी**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 18/09/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा जोगी आसन के खाता संख्या 26 की 15.13 बीघा भूमि बस्ती वल्द गंगा की खरीदशुद्दा भूमि है जो बस्ती वल्द गंगा के कब्जा काश्त की भूमि है जो खसरा गिरदावरी सम्वत 2012 से 2015 में दर्ज है बस्ती पुत्र गंगा जाति रेगर ने अपनी चल व अचल सम्पति की दिनांक 03.09.1961 को बन्दोबस्त ग्राम पंचायत अरडकी तहसील नोहर के समक्ष वसीयत निष्पादित की गई जिसमें ग्राम पंचायत की सार्वजनिक बैठक में भी उक्त प्रस्ताव बाबत वसीयत दर्ज किया गया है इसके अतिरिक्त वसीयत भी अलग से लिखी गई वसीयत में रोही मौजा जोगीआसन न0 1 के खसरा न0 26 की भूमि अपने पोते चाननमल को देने की इच्छा दर्शाई तथा वसीयत में स्वय बस्तीराम का अगुठा व सरंपच ग्राम पंचायत अरडकी व गवाहान गणेशाराम , केसराराम व मेहरदीन के समक्ष तस्दीक उपरान्त वसीयत दिनांक 03. 09.19612 से वादी रोही मौजा जोगीआसन न0 1 के खसरा न0 48 की 0.7710हैक भूमि का खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा जोगीआसन न0 1 के साबिका खसरा न0 26 हाल खसरा न0 48 में पैमुद परिर्वतन हो चुके है हाल खसरा न0 48 की 0.7710हैक भूमि वादी के दादा बस्ती वल्द गंगाराम की थी जिसका वादी वसीयत के अनुसार खातेदार काश्तकार है वादी बस्ती वल्द गंगाराम का नाम कलमजन करवाकर वादी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को वाद[illegible]मि [illegible] नाम वसीयत के अनुसार दर्ज करने हेतु निवेदन करने पर निदेशित किया की [illegible] पुरानी है न्यायालय [illegible] से वाद प्रस्तुत कर घोषणा करवावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:20:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि रोही मौजा जोगीआसन न0 1 के खाता संख्या 22/30 के खसरा न0 48 की 0.7710हैक्‍ भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बस्ती वल्द गंगाराम का नाम कलमजन करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की और से पैरोकार राज उपस्थित आकर वादी के वाद में अकित तथ्यो को अस्वीकार कर राजस्व रिकार्ड व साक्ष्यों के आधार पर राज्यहितों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षो की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के पूर्वज बस्ती वल्द गंगाराम की रोही मौजा जोगीआसन संख्या 1 के साबिका खसरा न0 26 की 0.7710हैक्‍ भूमि जरिये बेयनामा दिनांक 03.09.1961 से खरीदशुद्वा भूमि थी जिसकी अपनी स्वैच्छा से वसीयत अपने पौते चाननमल के नाम ग्राम पंचायत अरडकी के समक्ष व गवाहान की उपस्थिति में दिनांक 08.07.1981 को करवाई गई थी वादी के पूर्वज बस्ती वल्द गंगाराम का देहान्त हो चुका है अब चाननमल रोही मौजा जोगीआसन संख्या 1 के साबिका खसरा न0 26 हाल खसरा न0 48 की 0.7710हैक्‍ का खातेदार काश्तकार हो गया है वादी बस्ती बल्द गंगाराम का नाम कलमजन करवाकर वाद भूमि में बतौर खातेदार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया की वादी के द्वारा पूर्व में बाद मे वर्णित वसीयत के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिस पर विधिवत सुनवाई की जाकर वादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था जिसकी अपील भी आगे वादी के द्वारा की जा चुकी है जिसके सम्बध में वादी को पूर्णज्ञान है वादी ने तथ्यो को छुपाकर वाद पेश किया गया है वादी सक्षम न्यायालय में अपील कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है किसी प्रकार की घोषणा करवाने का अधिकारी नही है वादी का वाद खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया वादी का कथन है कि रोही मौजा जोगीआसन संख्या 1 के साबिका खसरा न0 26 की 0.7710हैक्‍ भूमि जरिये बेयनामा दिनांक 03.09.1961 से खरीदशुद्वा भूमि थी जिसकी अपनी स्वैच्छा से वसीयत अपने पौते चाननमल के नाम ग्राम पंचायत अरडकी के समक्ष व गवाहान की उपस्थिति में दिनांक 08.07.1981 को करवाई गई थी वादी के पूर्वज बस्ती वल्द गंगाराम का देहान्त हो चुका है अब चाननमल रोही मौजा जोगीआसन संख्या 1 के साबिका खसरा न0 26 हाल खसरा न0 48 की 0.7710हैक्‍ का खातेदार काश्तकार हो गया है वादी बस्ती बल्द गंगाराम का नाम कलमजन करवाकर वाद भूमि में बतौर खातेदार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:20:59 IST
Reason: SelfAttested

वादी के वाद में अंकित तथ्यों के अवलोकन एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वादी के द्वारा प्रस्तुत वसीयत एक सादे कागज पर अंकित की गई है जिसमें चल

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अचल सम्पति अपने अन्य बेटो एव कृषि भूमि चाननमल को देना अंकित है अर्थात कम्पोजिट श्रेणी की है कम्पोजिट वसीयत को सुनने का अधिकारी सिविल न्यायालय को है इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार की नही है।

वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत घोषणा का वाद पेश कर कम्पोजिट वसीयत की घोषणा चाही गई है जो विधिसम्मत नही है

पेरोकार राज के कथनानुसार एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार वादी ने पूर्व में वाद में वर्णित वसीयत के अनसुार नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही तहसील कार्यालय में की गई है जो विधिवत सुनवाई उपरान्त वादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार नोहर के द्वारा निरस्त किया गया था जब वसीयत के अनुसार भूमि दर्ज करने की कार्यवाही तहसील कार्यलय में की जा चुकी है और तहसीलदार द्वारा निर्णय पारित कर वादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका था तो वादी सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है अपील विचाराधीन भी हो सकती है

प्रकरण में वादी ने अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार वाद भूमि पर आवासीय मकान बनाये जा चुके है अर्थात वर्तमान में वाद भूमि कृषि योग्य ना होकर अंकृषि उपयोग हो रही है जिसके सम्बध में वादी न्यायालय से किसी प्रकार की घोषणा करवाने का अधिकारी नही है

उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी के द्वारा जिस वसीयत के सम्बध में घोषणा का वाद पेश किया गया है वह कम्पोजिट वसीयत है तथा प्रश्नगत वसीयत के सम्बध में पूर्व में ही तहसीलदार नोहर के द्वारा विधिवत सुनवाई उपरान्त प्रार्थी का वसीयत अनुसार भूमि दर्ज करने का प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है वादी ने तहसील कार्यालय में की गई कार्यवाही को अपने वाद में छुपा कर वसीयत के अनुसार घोषणा का वाद पेश किया गया है अर्थात वादी क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही आया है वादी तहसीलदार नोहर के निर्णय के विरूद्व सक्षम न्यायालयों में अपील कर सकता है तथा प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में आवासीय में परिर्वतन होने के कारण वादी किसी प्रकार की घोषणा करवाने का अधिकारी नही है।

अतः बादी का वाद साक्ष्य सबुतों के आधार पर एव पूर्व में ही वसीयत के सम्बध में तहसीलदार नोहर के द्वारा निर्णय पारित करने एव वसीयत कम्पोजिट होने एव अकृषि उपयोग में होने के कारण वाद वादी स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई।

निर्णय आज दिनांक ....18/09/25........ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:20:59 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव i.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान : –

1. चाननमल पुत्र हरीराम जाति रेगर निवासी वार्ड संख्या 10 नोहर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 246 सन 2022 निर्णय दिनांक– 18/09/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी श्री मदन मोहन जोशी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/09/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 16:20:59 IST
Reason: SelfAttested